



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271206
CG-DL-E-23032026-271206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1440]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2026/चैत्र 2, 1948

No. 1440]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2026/CHAITRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

का.आ. 1505(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में NH53 के कि.मी. 3 से कि.मी.23.400(ऑफिस ऑफ़ SDO(Revenue)दुर्ग तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् SDO(Revenue)दुर्ग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में NH53 के कि.मी. 3 से कि.मी.23.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: दुर्ग		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दुर्ग					
गांव का नाम: पिसेगांव					
1	483	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
2	500/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
गांव का नाम: कोलिहापुरी					
3	51	निजी	असिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: धनोरा					
4	399/2	निजी	पड़त	0.207 (हेक्टेयर)	0.207
गांव का नाम: हनोदा					
5	164/2	निजी	पड़त	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
गांव का नाम: उमरपोटी					
6	140/12	निजी	पड़त	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: पुरई					
7	1087/4	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	1098/2	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.0402 (हेक्टेयर)	0.0402
9	1114/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
10	1195/5	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
11	1204/4	निजी	पड़त	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
12	204/1	निजी	पड़त	0.039 (हेक्टेयर)	0.039
13	204/2	निजी	पड़त	0.037 (हेक्टेयर)	0.037

14	218/4	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
15	220/2	निजी	सिंचित दो फसली बागवानी	0.0113 (हेक्टेयर)	0.0113
16	225/1	निजी	सिंचित दो फसली बागवानी	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
17	806/1	निजी	पड़त	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
18	831/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.0558 (हेक्टेयर)	0.0558
19	832/2	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
20	833/1	निजी	सिंचित धनहा दो फसली	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
21	839/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.0283 (हेक्टेयर)	0.0283
22	840/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
23	842/2-3	निजी	सिंचित दो फसली बागवानी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
24	925	निजी	सिंचित धनहा दो फसली	0.0664 (हेक्टेयर)	0.0664
गांव का नाम: खोपली					
25	952/1	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.0468 (हेक्टेयर)	0.0468
गांव का नाम: थनौद					
26	1549	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
27	1562/2	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
28	1650/2	निजी	सिंचित धनहा एक फसली	0.085 (हेक्टेयर)	0.085
29	1665/1	निजी	सिंचित धनहा दो फसली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
30	1665/2	निजी	सिंचित धनहा दो फसली	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
Total					1.519

[फा. सं. 597/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2026

S.O. 1505(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 3 to Km. 23.400 (Office of SDO(Revenue)Durg) in the district of DURG in the state of CHHATTISGARH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO(Revenue)Durg in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 3 to Km. 23.400 (Office of SDO(Revenue)Durg) in the district of DURG in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: DURG		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Durg					
Village: PISEGAON					
1	483	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.09 (Hectare)	0.09
2	500/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.17 (Hectare)	0.17
Village: KOLIHAPURI					
3	51	Private	Non-Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
Village: DHANAURA					
4	399/2	Private	Padat	0.207 (Hectare)	0.207
Village: HANODA					
5	164/2	Private	Padat	0.038 (Hectare)	0.038
Village: UMARPOTY					
6	140/12	Private	Padat	0.001 (Hectare)	0.001
Village: PURAI					
7	1087/4	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.02 (Hectare)	0.02

8	1098/2	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.0402 (Hectare)	0.0402
9	1114/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.011 (Hectare)	0.011
10	1195/5	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.26 (Hectare)	0.26
11	1204/4	Private	Padat	0.0091 (Hectare)	0.0091
12	204/1	Private	Padat	0.039 (Hectare)	0.039
13	204/2	Private	Padat	0.037 (Hectare)	0.037
14	218/4	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.0066 (Hectare)	0.0066
15	220/2	Private	Irrigated Double Crop Bagwani	0.0113 (Hectare)	0.0113
16	225/1	Private	Irrigated Double Crop Bagwani	0.0205 (Hectare)	0.0205
17	806/1	Private	Padat	0.06 (Hectare)	0.06
18	831/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.0558 (Hectare)	0.0558
19	832/2	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.02 (Hectare)	0.02
20	833/1	Private	Irrigated Dhanha Double Crop	0.024 (Hectare)	0.024
21	839/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.0283 (Hectare)	0.0283
22	840/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.02 (Hectare)	0.02
23	842/2-3	Private	Irrigated Double Crop Bagwani	0.02 (Hectare)	0.02
24	925	Private	Irrigated Dhanha Double Crop	0.0664 (Hectare)	0.0664
Village: KHOPLI					
25	952/1	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.0468 (Hectare)	0.0468
Village: Thanaud					

26	1549	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.01 (Hectare)	0.01
27	1562/2	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.032 (Hectare)	0.032
28	1650/2	Private	Irrigated Dhanha Single Crop	0.085 (Hectare)	0.085
29	1665/1	Private	Irrigated Dhanha Double Crop	0.02 (Hectare)	0.02
30	1665/2	Private	Irrigated Dhanha Double Crop	0.06 (Hectare)	0.06
Total					1.519

[F. No. 597/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director